

उत्तर प्रदेश शासन

औद्योगिक विकास अनुभाग-6

संख्या-2791 / 77-6-2018-एल0सी0-4 / 18

लखनऊ : दिनांक 06 जून, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

प्रदेश में औद्योगिक विकास का वातावरण तैयार कर प्रदेश के सर्वांगीण विकास हेतु उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग तथा लॉजिस्टिक्स नीति-2018 दिनांक 27.02.2018 को मा0 मंत्रि-परिषद के अनुमोदनोपरान्त शासनादेश संख्या-649 / 77-6-18-एल0सी0-04 / 18, दिनांक 27-02-2018 द्वारा निर्गत की जा चुकी है।

2- अतः "उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग तथा लॉजिस्टिक्स नीति-2018" के क्रियान्वयन हेतु श्री राज्यपाल निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धान्त/नियमावली बनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान करते हैं:-

उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग तथा लॉजिस्टिक्स नीति-2018 के क्रियान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्त/नियमावली

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1.1 यह नियमावली "उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग तथा लॉजिस्टिक्स नीति-2018 के क्रियान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्त/नियमावली " कहलाएगी।

1.2 यह नियमावली दिनांक 27.02.2023 तक अथवा उस अवधि तक प्रभावी रहेगी जब तक कि राज्य सरकार द्वारा इसे संशोधित नहीं किया जाता है।

2. परिभाषायें:

2.1 "नीति" का तात्पर्य इस नियमावली में उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग तथा लॉजिस्टिक्स नीति-2018 से है।

2.2 "लॉजिस्टिक्स पार्क" तथा "लॉजिस्टिक्स इकाईयों" की परिभाषा के सम्बन्ध में "नीति" के प्रस्तर 3.2 लागू होंगे।

- 2.3 "छूट की अधिकतम सीमा" नीति के अन्तर्गत परिभाषित परियोजनाओं हेतु प्रतिपूर्ति, उपादान, छूट आदि समस्त प्रोत्साहन परिभाषित इकाइयों द्वारा किए गए स्थाई पूंजी निवेश के अधिकतम 100 प्रतिशत की सीमा तक होंगे तथा वार्षिक अधिकतम सीमा स्थाई पूंजी निवेश की 15 प्रतिशत होगी।
- 2.4 "स्वीकार्यता की तिथि" का तात्पर्य नीति के अन्तर्गत सुविधाओं के आहरण के प्रयोजनार्थ उस तिथि से है जिस पर नीति के अन्तर्गत परिभाषित लॉजिस्टिक पार्क/परियोजनाओं द्वारा उसकी श्रेणी के अनुसार पात्र पूंजी निवेश की न्यूनतम सीमा प्राप्त कर स्थापित किया जा चुका हो।
- 2.5 "कट ऑफ तिथि" का तात्पर्य निवेश को प्रारम्भ किए जाने की उस तिथि से है जिसका विकल्प आवेदक द्वारा चुना गया हो।
- 2.6 "प्रभावी तिथि" का तात्पर्य उस तिथि से है जिससे यह नियमावली प्रभावी होगी,
- 2.7 "प्रभावी अवधि" का तात्पर्य दिनांक 27.2.2018 से इस नियमावली के राज्य सरकार द्वारा संशोधन अथवा निरसन की तिथि तक की अवधि से है।
- 2.8 "पात्र पूंजी निवेश" का तात्पर्य ऐसे पूंजी निवेश से है जो किसी लॉजिस्टिक्स इकाइयों द्वारा उसकी श्रेणी के अनुसार, पात्र निवेश की अवधि के भीतर किया गया हो।
- 2.9 "कर्मचारियों" का तात्पर्य औद्योगिक उपक्रम के वेतन-पत्रक (पे-रोल) पर सभी कर्मचारी/कर्मी से है।
- 2.10 "अपात्र पूंजी निवेश"

निम्नलिखित को पूंजी निवेश की गणना में नहीं सम्मिलित किया जाएगा:

8. कार्यशील पूंजी
 9. गुडविल
 10. रायल्टी
 11. प्रिलिम्नरी व प्रिऑपरेटिव व्यय
 12. ब्याज जिसे कैपिटलाइज किया गया है
 13. स्वयं उपयोग के अलावा विद्युत उत्पादन
 14. तकनीकी कार्यज्ञान (knowhow) शुल्क/परामर्शी शुल्क
- 2.11 "औद्योगिक उपक्रम" का तात्पर्य ऐसी औद्योगिक इकाई से है जो किसी ऐसी संस्था के स्वामित्व में हो जो कम्पनी, साझेदारी फर्म, (जिसमें एल.एल.पी., सोसाइटी, न्यास, औद्योगिक सहकारिता समिति, अथवा स्वामित्व फर्म सम्मिलित हैं) के रूप में गठित हो, एवं जो सामग्री के निर्माण, उत्पादन, प्रौद्योगिकी अथवा ठेके के कार्य में प्रवृत्त हो अथवा प्रवृत्त होना प्रस्तावित कर रही हो। औद्योगिक उपक्रम में वे उद्यम भी सम्मिलित होंगे जिन्हें सूक्ष्म, लघु

और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में लघु एवं मध्यम उद्यम के रूप में परिभाषित किया गया है।

ऐसे औद्योगिक उपक्रम जोकि प्रतिबंधित उद्योगों की सूची में अधिसूचित किए गये हैं, सुविधाओं हेतु अपात्र होंगे।

- 2.12 "सहायक अवस्थापना सुविधाओं" से तात्पर्य पार्क की आवश्यकताओं के अनुसार अवस्थापना सुविधाएं यथा- आन्तरिक सड़क मार्ग, संचार सुविधाएं, खुला तथा हरित स्थान, जल आपूर्ति तंत्र (वाटर पाइप-लाइन्स), सीवेज एवं ड्रेनेज प्रणाली, डिस्पोज़ल सुविधाएं, विद्युत वितरण व्यवस्था की स्थापना, फीडर, सौर ऊर्जा पैनल्स इत्यादि से है।
- 2.13 "विभाग" से अभिप्राय अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग से है।
- 2.14 "यूपीसीडा" का अभिप्राय उ. प्र. राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण से है, जो उ. प्र. औद्योगिक विकास अधिनियम, 1976 के अधीन एक शासन-नियंत्रित प्राधिकरण के रूप में गठित किया गया है।
- 2.15 "नोडल संस्था" का तात्पर्य उ. प्र. राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) से है। इस प्रयोजनार्थ यूपीसीडा में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी।
- 2.16 "अकुशल कर्मियों" का तात्पर्य उपक्रम के वेतन-पत्रक पर अकुशल कर्मियों से है।
- 2.17 "निजी विकासकर्ता" का तात्पर्य ऐसे औद्योगिक संगठन/उद्यम से है, जो संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860, भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 अथवा कम्पनी अधिनियम 2013 अथवा विशेष प्रयोजन माध्यम संस्था-एस.पी.वी. (Special Purpose Vehicle) (अथवा इसी प्रकार के समान/प्रतिस्थापन अधिनियम/विधि, जो नीति की वैधता अवधि में समय-समय पर प्रचलित हों) के अन्तर्गत पंजीकृत हों तथा पार्क की स्थापना हेतु गठित किया गया हो।
- 2.18 "प्रथम क्रेता" का तात्पर्य ऐसी विशिष्ट पृथक इकाइयों से है जो पार्क में स्थित भूखण्ड को प्रथम बार विकासकर्ता से प्रत्यक्ष रूप से क्रय करती हैं।
- 2.19 "वित्तीय संस्था" का तात्पर्य ऐसी वित्तीय संस्थाओं से है जो केन्द्र अथवा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन हो, अथवा कोई अनुसूचित बैंक हो (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अतिरिक्त)।
- 2.20 "प्राधिकार प्राप्त समिति" का तात्पर्य मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित प्राधिकृत समिति से है।
- 2.21 "सक्षम प्राधिकारी (कॉम्पिटेण्ट अथॉरिटी)" से तात्पर्य ऐसे प्राधिकारी (अथॉरिटी) से है, जिनके द्वारा मानचित्र को अनुमोदित किया जाता है। सक्षम प्राधिकारी (अथॉरिटी) उपलब्ध न हो तो नोडल संस्था द्वारा किया जायेगा।

3. लॉजिस्टिक इकाइयों को अनुमन्य सुविधायें
 - 3.1 भारत सरकार द्वारा 'इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टेटस' हेतु निर्दिष्ट शर्तों को पूर्ण करने वाली वेअरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स इकाइयों को प्रदेश में 'उद्योग' का दर्जा प्रदान किया जाएगा एवं इसको औद्योगिक क्रिया (एक्टिविटी) मानी जायेगी।
 - 3.2 वेअरहाउसिंग के लिए भूमि आवंटन हेतु विकास प्राधिकरणों द्वारा पात्रता शर्तें एवं दर निर्धारित की जाएंगी।
 - 3.3 सक्षम प्राधिकारी (कॉम्पिटेण्ट अथॉरिटी) द्वारा वेअरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स इकाइयों हेतु 60 प्रतिशत तक की ग्राउण्ड कवरेज की अनुमति दी जाएगी।
4. निजी लॉजिस्टिक्स पार्क हेतु प्रोत्साहन

50 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में विकसित किये जा रहे लॉजिस्टिक्स पार्कों को नीति के प्रस्तर-5 के अन्तर्गत 5.1 से 5.9 तक में वर्णित प्रोत्साहन प्रदान किये जाएंगे। प्रोत्साहन की स्वीकृति प्रस्तर-12 में उल्लिखित प्रक्रियानुसार तथा प्रोत्साहन का वितरण प्रस्तर-13 में उल्लिखित प्रक्रियानुसार किया जायेगा।
5. लॉजिस्टिक्स इकाइयों हेतु प्रोत्साहन
 - 5.1 "नीति" में परिभाषित लॉजिस्टिक्स इकाइयों को "नीति" के प्रस्तर 6.1 से 6.9 में वर्णित प्रोत्साहन "छूट की अधिकतम सीमा" के अन्तर्गत प्रदान किये जाएंगे।
 - 5.2 बुन्देलखण्ड, पूर्वांचल क्षेत्रों तथा अधिसूचित लॉजिस्टिक्स पार्कों में "नीति" में उल्लिखित पात्र निजी लॉजिस्टिक्स पार्कों एवं लॉजिस्टिक्स इकाइयों को पूंजीगत ब्याज उपादान तथा अवस्थापना ब्याज उपादान पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रदान किया जाएगा।
 - 5.3 निजी लॉजिस्टिक्स पार्कों एवं लॉजिस्टिक्स इकाइयों को पूंजीगत ब्याज उपादान तथा अवस्थापना ब्याज उपादान प्रतिपूर्ति के रूप में प्रतिवर्ष 5.5 प्रतिशत की सीमा एवं निर्धारित अवधि तक प्रदान की जाएगी, जिसकी सीमा प्रतिवर्ष 2.2 करोड़ एवं 5 वर्ष में कुल 11 करोड़ होगी।
6. दादरी, भाउपुर व नैनी को लॉजिस्टिक्स परिक्षेत्र के रूप में विकसित किया जायेगा। प्रदेश सरकार किसी अन्य क्षेत्र को भी लॉजिस्टिक्स परिक्षेत्र के रूप में अधिसूचित कर सकती है।
7. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के अन्तर्गत सचिव स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में एक समर्पित लॉजिस्टिक्स प्रकोष्ठ की स्थापना की जायेगी।

- 7.1 यह प्रकोष्ठ प्रदेश में लॉजिस्टिक्स अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु विभिन्न संबंधित विभागों, यथा-नागरिक उड्डयन, परिवहन, ऊर्जा, खाद्य एवं कृषि तथा अन्य सम्बन्धित विभागों के साथ बेहतर समन्वयन सुनिश्चित करेगा।
- 7.2 यथावश्यक सुसंगत नियमों के अन्तर्गत भूमि के आबंटन हेतु संबंधित विभाग/विकास प्राधिकरण/औद्योगिक विकास प्राधिकरण/हाउसिंग बोर्ड/यू.पी.एस.आई.डी.सी/यूपिडा इत्यादि को निर्देश जारी करेगा।
- 7.3 लॉजिस्टिक इकाइयों हेतु आवश्यक समस्त समयबद्ध स्वीकृतियाँ/अनापत्तियाँ, सिंगल विण्डो सिस्टम, 'निवेश मित्र' के माध्यम से प्रदान किये जाएंगे।
- 7.4 लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग इकाइयों, जो किसी अन्य नीति के अन्तर्गत अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग द्वारा स्वीकृत प्रोत्साहनों का लाभ प्राप्त करती है, तो वे इस नीति में उल्लिखित प्रोत्साहन/लाभ प्राप्त करने की भी पात्र होंगी, बशर्ते इन इकाइयों द्वारा एक ही प्रकार का लाभ किसी अन्य नीति के अन्तर्गत प्राप्त नहीं किया जा रहा हो।
8. नियमावली में उल्लिखित सभी सुविधायें यथा प्रचलित शासनादेशों/ सुसंगत नियमों के अन्तर्गत (सम्बन्धित विभागों द्वारा प्रदान की जाने वाली ड्यूटी/शुल्क में छूट से सम्बन्धित सुविधाओं को छोड़कर) "नोडल संस्था" द्वारा वितरित किया जायेगा।
9. "नीति" के अन्तर्गत सुविधा प्राप्त करने वाले लॉजिस्टिक्स एवं वेयरहाउसिंग इकाइयों यदि किसी कारणवश प्रभावी अवधि में सुविधायें प्राप्त कर लेती हैं किन्तु लॉजिस्टिक सेवायें तथा सहायक अवस्थापना सुविधायें नहीं विकसित कर पाती हैं तो इकाइयों को दी गयी प्रतिपूर्ति, उपादान, छूट की वितरित धनराशि भू-राजस्व की भाँति वसूल किया जायेगा।
10. निम्नलिखित परिस्थितियों के घटित होने की दशा में भी संबंधित विकासकर्ता/इकाइयों को प्रतिपूर्ति, उपादान, छूट देय नहीं होगा एवं विकासकर्ता/ इकाई को प्रतिपूर्ति, उपादान, छूट वितरित होने की दशा में वितरित धनराशि भू-राजस्व की भाँति वसूल किया जायेगा।
 - 10(1) जब कोई विकासकर्ता/ इकाई निर्धारित विवरण व सूचना, जो उससे माँगी जाए, देने में असफल रहे।
 - 10(2) जब किसी विकासकर्ता/ इकाई द्वारा आवश्यक तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत करके अथवा असत्य सूचना देकर उपादान प्राप्त किया हो।
 - 10(3) जब किसी विकासकर्ता द्वारा लॉजिस्टिक पार्क प्रारम्भ करने की तिथि से 5 क्रमागत वर्षों की अवधि के अन्तर्गत विकास कार्य स्थाई रूप से (छः माह से अधिक) बन्द कर दिया गया हो तो विकास कार्य अवरूद्ध होने के कारण सहित एक माह के अन्दर ही संबंधित नोडल संस्था को सूचना लिखित रूप से प्राप्त कराना अनिवार्य होगा। नोडल

संस्था द्वारा प्राधिकार प्राप्त समिति को अवगत कराते हुये प्रकरण पर निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

11. अन्य प्राविधान/शर्तें

- 11.1 चरणबद्ध स्थापन: लॉजिस्टिक्स एवं वेअरहाउसिंग इकाइयों को, जो विभिन्न चरणों में परियोजना स्थापित करना चाहते हैं, प्रथम चरण की स्थापना से पूर्व आवेदन करना होगा।
- 11.2 सूचनार्थें उपलब्ध कराया जाना: सुविधाओं के वितरण की शर्तों के अनुसार, सभी पात्र लॉजिस्टिक्स एवं वेअरहाउसिंग इकाइयों द्वारा समय समय पर आवश्यक जानकारी इकाई की बंदी, आदि स्पष्ट कारणों सहित, स्थायी पूँजी निवेश में वृद्धि का सत्यापित विवरण (यदि कोई हो), स्थायी सम्पत्तियों का विक्रय/नुकसान (यदि कोई हो), एवं इकाई के संविधान में बदलाव, पात्र इकाई का अंकेक्षित लेखा विवरण और आर्थिक चिट्ठा (प्रत्येक वित्तीय वर्ष समाप्त होने के 6 माह के भीतर), इत्यादि नोडल एजेन्सी अथवा राज्य सरकार द्वारा यथा-अपेक्षित उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
- 11.3 परियोजना के पैरामीटर्स में परिवर्तन: लॉजिस्टिक्स एवं वेअरहाउसिंग इकाइयों द्वारा परियोजना की प्रकृति अथवा परियोजना लागत में परिवर्तन/बदलाव, जिससे इसकी श्रेणी में परिवर्तन उत्पन्न हो, शर्तों में परिवर्तन, इत्यादि हेतु दिये गये आवेदन का नोडल संस्था द्वारा स्वयं अथवा बाह्य सक्षम संस्था के माध्यम से परीक्षण कर "प्राधिकार प्राप्त समिति" के विचार हेतु प्रस्तुत किया जायेगा, जिनका निर्णय अन्तिम होगा।
- 11.4 सुविधाओं की निर्धारित सीमा (मात्रा/अवधि) पूरी होने पर अथवा नियमों एवं शर्तों का उल्लंघन होने पर दी गई सुविधाओं को स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- 11.5 यदि लॉजिस्टिक्स एवं वेअरहाउसिंग इकाइयों द्वारा दी गयी जानकारी/अभिलेख असत्य पाये जाते हैं अथवा भौतिक तथ्यों को छिपा कर सुविधाएं प्राप्त की जाती है तो ऐसी दशा में स्वीकृति सुविधाएं निरस्त किये जायेगे एवं इकाइयों को वितरित की गयी सभी सुविधाओं की राशि प्रदेश के प्रचलित अधिनियमों के अन्तर्गत भूमि राजस्व के बकायों के रूप में वसूली योग्य होगी।

12. प्रसंस्करण, स्वीकृति एवं वितरण की प्रक्रिया

- 12.1 आवेदन जमा किया जाना : नीति के अन्तर्गत वित्तीय प्रोत्साहनों हेतु सभी प्रार्थना पत्र सभी आवश्यक दस्तावेज सहित निर्धारित प्रारूप में (अनुलग्नक-I) नोडल संस्था को प्रस्तुत किये जायेगें। नोडल संस्था प्रार्थना पत्रों को परीक्षण कर संस्तुति सहित विभाग को अग्रसारित करेगी। नोडल संस्था प्रार्थना पत्रों के परीक्षण हेतु उप समिति गठित कर सकती है।

12.2 "विभाग" द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र को "प्राधिकार प्राप्त समिति" के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

12.3 नोडल संस्था द्वारा प्रार्थना पत्रों की स्थिति, स्वीकृति पत्र एवं निजी विकासकर्ता/इकाइयों के प्रगति की परीक्षा की जायेगी।

12.4 स्वीकृति : मुख्य सचिव, उ०प्र० की अध्यक्षता में प्रार्थना पत्र की स्वीकृति हेतु एक "प्राधिकार प्राप्त समिति" का गठन किया जा रहा है, जिसके सदस्य निम्नवत् होंगे:

- (I) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ०प्र०।
- (II) अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, औद्योगिक विकास विभाग
- (III) अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यावरण विभाग
- (IV) अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, निबन्धन विभाग
- (V) अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग
- (VI) अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग
- (VII) अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग
- (VIII) अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, आवास विभाग
- (IX) अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग
- (X) अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, श्रम विभाग
- (XI) प्रबन्ध निदेशक, यूपीएसआईडीसी
- (XII) अन्य सम्बन्धित विभागों के प्रतिनिधि जिनसे कि वित्तीय प्रोत्साहन प्रार्थित है।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा समिति के सदस्य संयोजक होंगे। समिति की बैठक में आवेदक अथवा आवेदक के प्रतिनिधि भी आमंत्रित किये जायेंगे; परन्तु उनकी अनुपस्थिति से स्वीकृति की प्रक्रिया बाधित नहीं होगी।

12.5 "प्राधिकार प्राप्त समिति" द्वारा वित्तीय प्रोत्साहनों की स्वीकृति के पश्चात् 'नोडल संस्था' द्वारा निर्धारित प्रारूप में 'स्वीकृति पत्र' निर्गत किया जायेगा।

13. वितरण:

13.1 आवेदक द्वारा सभी आवश्यक दस्तावेज सहित निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक II) में नोडल संस्था को प्रार्थना-पत्र देना होगा।

13.2 "नोडल संस्था" प्रार्थना पत्रों को संस्तुति सहित विभाग को प्रसंस्करण हेतु अग्रसारित करेगी।

13.3 दस्तावेजों को विभाग के स्तर पर परीक्षण एवं स्वीकृति पत्र में निर्धारित शर्तों के अनुपालनों की पुष्टि के पश्चात्, प्रस्ताव को 'प्राधिकार प्राप्त समिति' के समक्ष प्रस्तुत

किया जाएगा। तत्पश्चात् विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार विभिन्न सुविधाओं का वितरण किया जाएगा।

14. प्रशासनिक व्यय:


- 14.1 योजनान्तर्गत समस्त व्यय, यथा-सहमति-पत्र (एग्रीमेंट) का निष्पादन तथा अन्य प्रासंगिक व्यय का वहन निजी विकासकर्ता/ इकाइयों द्वारा किया जाएगा।
- 14.2 समस्त प्रोत्साहन धनराशि का 1.00 प्रतिशत यूपीसीडा द्वारा प्रशासनिक शुल्क के रूप में कटौती कर लिया जायेगा।

15. विविध :

- 15.1 नीति के अन्तर्गत स्वीकृत राशि का लेखा शीर्षक वित्त विभाग द्वारा आबंटित किया जायेगा। विभाग उक्त लेखा शीर्षक के नियंत्रक व प्राक्कलन अधिकारी होंगे। वह लेखा शीर्षक के बजट तथा पुनरीक्षित अनुमान प्रस्तावित करेंगे तथा आवश्यकतानुसार अनुपूरक माँग का प्रस्ताव करेंगे। नीति के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय स्वीकृति विधायी स्वीकृति के पश्चात् निर्गत की जायेगी।
- 15.2 'प्राधिकार प्राप्त समिति' द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली शर्तें व नियम लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने वाले निजी विकासकर्ता पर लागू होंगी।
- 15.3 ऐसे कोई भी अन्य मानदण्ड लागू होंगे, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित तथा/अथवा अधिसूचित किए जाएंगे।
- 15.4 इस नियमावली के किसी भी अनुच्छेद के अनुपालन के सम्बन्ध में 'प्राधिकार प्राप्त समिति' द्वारा दी गई व्यवस्था अंतिम होगी।
- 15.5 अन्य विभागों से सम्बन्धित सुविधाओं हेतु बजट प्राविधान सम्बन्धित विभागों द्वारा किया जाएंगे।
- 15.6 योजनान्तर्गत किसी विषय वस्तु को स्पष्ट करने का अधिकार 'प्राधिकार प्राप्त समिति' को होगा।
- 15.7 इस नियमावली के साथ संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूपों में किसी भी प्रकार के संशोधन अथवा परिवर्तन किये जाने हेतु 'प्राधिकार प्राप्त समिति' सक्षम होंगे।

15.8 किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में लखनऊ स्थित न्यायालयों में ही वाद दायर किया जा सकेगा।

संलग्नक यथोक्त-



(अनूप चन्द्र पाण्डेय)


अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त।

संख्या : 2791 (1)/77-6-18-एल0सी0-4/18 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
4. प्राधिकार प्राप्त समिति के मा0 सदस्यगण।
5. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
6. समस्त मंडलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
7. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
8. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 12 सी, माल एवेन्यू, लखनऊ।
9. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा, कानपुर।
10. औद्योगिक विकास विभाग के नियन्त्रणाधीन समस्त विभागाध्यक्ष/निगमों के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक एवं औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष।
11. औद्योगिक विकास विभाग के समस्त संयुक्त सचिव, उप सचिव, अनु सचिव एवं समस्त अनुभाग।
12. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
13. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया नियमावली की 1500 प्रतियाँ मुद्रित करा कर औद्योगिक विकास अनुभाग-6 को उपलब्ध कराने एवं समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश तथा समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश को मुद्रित प्रतियाँ प्रेषित करने का कष्ट करें।
14. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
15. नियोजन अनुभाग-1
16. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,




(अंकित कुमार अग्रवाल)
विशेष सचिव।

संख्या : 2791 (2) / 77-6-18-एल0सी0-4 / 18 तददिनांक

प्रतिलिपि निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित है कि कृपया इस नीति/नियमावली का समस्त समाचार पत्रों में व अन्य माध्यमों से समुचित प्रचार-प्रसार करवाने का कष्ट करें।

आज्ञा से,


(अंकित कुमार अग्रवाल)
विशेष सचिव।

लॉजिस्टिक्स एवं वेअरहाउसिंग इकाइयों के लिए आवेदन पत्र

(सभी सहायक अभिलेखों को आवेदक द्वारा अपनी ओर से विधिवत रूप से प्राधिकृत निदेशक/साझेदार/अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जाना चाहिये)

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा	सम्बंधित सहायक दस्तावेज
1.	आवेदक का नाम/पता एवं सम्पर्क विवरण		निगमीकरण प्रमाणपत्र, पंजीकृत भागीदारी विलेख, न्यास/सोसायटी पंजीकरण विलेख
2.	आवेदक का संघटन (कान्सटीट्यूशन)	कम्पनी/भागीदारी फर्म/अन्य	संगम अनुच्छेद/अनुच्छेद/उप-नियम आदि (MoA/Articles/By-laws)
3.	मौजूदा/प्रस्तावित परियोजना स्थल		
4.	निदेशकों/भागीदारों/अन्यों के नाम/पता एवं सम्पर्क विवरण		पैन और डिन (DIN) (संबंधित दस्तावेजों द्वारा समर्थित)
5.	आवेदक की जीएसटीआईएन (GSTIN)		संबंधित दस्तावेजों द्वारा समर्थित
6.	इकाई की प्रकृति	नया /मौजूदा (विस्तार/विविधिकरण)	
7.	श्रेणीकरण	न्यूनतम 50 एकड़ भूमि पर विकसित किये जाने वाला लॉजिस्टिक्स पार्क अथवा लॉजिस्टिक्स इकाई	
8.	लॉजिस्टिक्स पार्क अथवा लॉजिस्टिक्स इकाई की स्थापना के लिए पंजीकरण या अनुज्ञा-पत्र		संबंधित दस्तावेजों द्वारा समर्थित
9.	लॉजिस्टिक्स पार्क अथवा लॉजिस्टिक्स इकाई की स्थापन की प्रस्तावित तारीख		
10.	प्रस्तावित पूँजी निवेश		विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR)
11.	वह तारीख जब से पूँजी निवेश आरंभ किया गया है, या आरंभ किया जाना प्रस्तावित है		संबंधित दस्तावेजों द्वारा समर्थित

12. आवेदक द्वारा प्रार्थित लाभ

क्र.सं.	मद	मात्रा (करोड़)
12.1	वित्तीय लाभों की कुल औसत मात्रा	
12.2	प्रार्थित लाभ का विवरण	
12.2.1	स्टाम्प ड्यूटी से छूट	
12.2.2	ईपीएफ प्रतिपूर्ति (100 या इससे अधिक अकुशल कामगार)	
12.2.3	10% अतिरिक्त ईपीएफ प्रतिपूर्ति (200 कुशल और अकुशल कामगार)	
12.2.4	पूँजीगत ब्याज उपादान	
12.2.5	अवस्थापना ब्याज उपादान	
12.2.6	भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क से छूट	
12.2.7	विकास शुल्क से छूट	
12.2.8	विद्युत शुल्क से छूट	
12.2.9	वेअरहाउसेज का गुणवत्ता प्रमाणन की प्रतिपूर्ति	
12.2.10	दिव्यांग श्रमिकों हेतु 500/- प्रतिमाह पे रोल सहायता	
12.2.11	कौशल विकास प्रोत्साहन	
12.2.12	प्रज्ञ लाजिस्टिक हेतु प्रोत्साहन	



घोषणा

उपर्युक्त सूचना पूर्णतया सत्य है और किसी भी तथ्य को छिपाया या गलत ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है। आगे स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक ने उपर्युक्त प्रकृति के लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार की किसी क्षेत्र-विशिष्ट या अन्य नीति के अधीन उपर्युक्त प्रकृति के लाभों के लिए आवेदन नहीं किया है।

मैं/हम एतद्वारा सहमत हूँ/हैं कि उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग तथा लॉजिस्टिक्स नीति-2018 के नियमों के अधीन यदि यह पाया जाता है कि मुझे/हमें उक्त लाभों का संवितरण किसी भी कारण से वास्तविक रूप से स्वीकार्य राशि से अधिक किया गया है तो मैं/हम जारी किए गए लाभों की तत्काल वापसी कर दूँगा/देंगे।

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर
नाम, पदनाम और कार्यालय मुहर सहित

तारीख :

स्थान :

सहायक दस्तावेज:

- (a) निगमीकरण प्रमाणपत्र, पंजीकृत भागीदारी विलेख, न्यास/सोसायटी पंजीकरण विलेख
- (b) समस्त अनुसूचियों सहित इकाई के लेखा परीक्षित लेखे (चालू वित्त वर्ष के साथ-साथ पिछले पाँच वर्ष)
- (c) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR)
- (d) संगम अनुच्छेद/अनुच्छेद/ उप-नियम आदि तथा मौजूदा सकल परिसम्पत्तियों हेतु सनदी लेखाकार का प्रमाणपत्र
- (e) सकल ब्लॉक के समर्थन में मौजूदा औद्योगिक उपक्रम की स्थायी परिसम्पत्तियों की सनदी अभियंता द्वारा प्रमाणित सूची
- (f) शपथपत्र (रू० 10 के स्टाम्प पेपर पर अनुलग्नक 1-अ के अनुसार)

13



लॉजिस्टिक्स एवं वेअरहाउसिंग इकाइयों के लिए, जिन्हें स्वीकृति पत्र जारी किए गए हैं, प्रोत्साहन राशियों के वितरण के लिए आवेदन पत्र

1. वितरण के स्तर पर जमा की जाने वाली सूचना और दस्तावेज

क्रम सं	विवरण	ब्यौरा
i)	आवेदक का नाम और पता	
ii)	मौजूदा/प्रस्तावित उपक्रम का परियोजना स्थल	
iii)	किये गये वास्तविक पूंजी निवेश का चरणबद्ध विवरण एवं लॉजिस्टिक्स पार्क अथवा लॉजिस्टिक्स इकाई की स्थापन की तिथि (उपयुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र अथवा सनदी लेखाकार (CA) का प्रमाण पत्र संलग्न करें)।	

2. लॉजिस्टिक्स पार्क अथवा लॉजिस्टिक्स इकाई की स्थापन में पात्र पूंजीगत निवेश का ब्यौरा

क्रम संख्या	मद	नया / मौजूदा	विस्तार/विविधिकरण	विस्तार/विविधिकरण के आधीन वृद्धि का :
i)	भूमि			
ii)	भवन			
iii)	अन्य निर्माण			
iv)	संयंत्र और मशीनरी			
v)	अवस्थापना सुविधाएँ			
vi)	कुल			

टिप्पणी :-

1. संबंधित दस्तावेज, नियमों/सरकारी आदेशों / एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के अनुरूप ऊपर बताये अनुसार किए गए पूंजीगत निवेश के लिए सनदी लेखाकार के प्रमाणपत्र के साथ प्रस्तुत किए जाएँ।
2. नोडल एजेंसी अपने पैनल में शामिल सनदी लेखाकारों के माध्यम से शासनादेश के प्राविधान के अनुसार कम्पनी द्वारा किए गए पूंजीगत निवेश पर परीक्षण और प्रमाणन की व्यवस्था करेगी।
3. नोडल एजेंसी अपने पैनल में शामिल परामर्शदाताओं/मूल्यांकनकर्ताओं/इंजीनियर के माध्यम से साइट पर किए गए पूंजीगत निवेश (भूमि, भवन और संयंत्र तथा मशीनरी) के संस्थापन की जांच और सत्यापन की व्यवस्था भी करेगी।

उपर्युक्त दो रिपोर्टें पूंजीगत निवेश की मात्रा के निर्धारण के लिए सक्षम समिति के समक्ष लाने के सवितरण किये जाने की स्थिति में प्रस्तुत की जाएगी।

3. लॉजिस्टिक्स पार्क अथवा लॉजिस्टिक्स इकाई की स्थापन में किये गये पूँजीगत निवेश का विवरण :

क्रम सं.	घटक	परियोजना लागत		वास्तविक पूँजी निवेश				कुल योग
		डीपीआर के अनुसार	एप्रैजल के अनुसार	कट आफ डेट के पूर्व	कट आफ डेट व स्थापन की तिथि के मध्य (यदि चरणों में, तो चरणबद्ध पूँजी निवेश)	अंतिम चरण के स्थापन की तिथि से अब तक (पात्र पूँजी निवेश अवधि तक)	10%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

4.0 उपादान

4.1 पूँजीगत ब्याज उपादान			
4.1.1	बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं का नाम और पता जिनसे ऋण प्राप्त किया गया		
4.1.2	संयंत्र और मशीनरी में निवेश के लिए स्वीकृत ऋण की राशि		स्वीकृत पत्र, वित्तीय संस्था/ बैंक के साथ करार
4.1.3	ब्याज की दर		स्वीकृत पत्र, वित्तीय संस्था/ बैंक के साथ करार
4.1.4	स्वीकृति की तारीख		
4.1.5	वितरण की तारीख सहित संयंत्र और मशीनरी में निवेश के लिए वितरित ऋण की राशि।		1. संयंत्र और मशीनरी के लिए ऋण प्रमाणित करने वाले बैंक / वित्तीय संस्था से ऋण ब्याज एवं अन्य विवरण का प्रमाण पत्र। 2. सम्पूर्ण अवधि, जिसके लिए प्रतिपूर्ति का दावा किया गया है, के दौरान भुगतान में कोई चूक न होने संबंधी बैंक / वित्तीय संस्था का प्रमाण पत्र।

4.2 पूँजीगत ब्याज उपादान की स्वीकृति के लिए दावों का विवरण

क्रम सं०	वर्ष जिसके लिए सब्सिडी का आवेदन किया गया	वर्ष के दौरान वित्तीय संस्था को किया गया भुगतान		आवेदन किए गए ब्याज सब्सिडी की राशि	समर्थन में अपेक्षित दस्तावेज
		मूल धनराशि	ब्याज		
1.	वर्ष -I ()				वित्तीय संस्था / बैंक से प्रमाण पत्र अपेक्षित
2.	वर्ष -II ()				
3.	वर्ष -III ()				
4.	वर्ष -IV ()				
5.	वर्ष -V ()				
	कुल				

4.3 अवस्थापना ब्याज उपादान

4.3.1	बैंकों / वित्तीय संस्थाओं का नाम और पता जिनसे ऋण प्राप्त किया गया		
4.3.2	बुनियादी अवस्थापना सुविधाओं के विकास, यथा- सड़कों, ड्रेनेज, विद्युत वितरण लाइनों की स्थापना, सौर ऊर्जा पैनल्स में निवेश पर स्वीकृत ऋण की धनराशि		स्वीकृत पत्र, वित्तीय संस्था / बैंक के साथ करार
4.3.3	ब्याज की दर		स्वीकृत पत्र, वित्तीय संस्था / बैंक के साथ करार
4.3.4	स्वीकृत की तारीख		
4.3.5	बुनियादी अवस्थापना सुविधाओं के विकास, यथा- सड़कों, ड्रेनेज, विद्युत वितरण लाइनों की स्थापना, सौर ऊर्जा पैनल्स में ऋण निवेश की राशि वितरण की तारीखों सहित		<p>1. ऋण प्रमाणित करने वाले बैंक / वित्तीय संस्था से ऋण ब्याज एवं अन्य विवरण का प्रमाण पत्र।</p> <p>2. सम्पूर्ण अवधि, जिसके लिए प्रतिपूर्ति का दावा किया गया है, के दौरान भुगतान में कोई चूक न होने संबंधी बैंक / वित्तीय संस्था का प्रमाण पत्र।</p>

4.3.6 अवस्थापना ब्याज उपादान की स्वीकृति के लिए दावों का विवरण

क्रम सं०	वर्ष जिसके लिए सब्सिडी का आवेदन किया गया	वर्ष के दौरान वित्तीय संस्था को किया गया भुगतान		आवेदन किए गए ब्याज सब्सिडी की राशि	समर्थन में अपेक्षित दस्तावेज
		मूल धनराशि	ब्याज		
1.	वर्ष -I ()				वित्तीय संस्था / बैंक से प्रमाण पत्र अपेक्षित
2.	वर्ष -II ()				
3.	वर्ष -III ()				
4.	वर्ष -IV ()				
5.	वर्ष -V ()				
	कुल				

5.1 कर्मचारी भविष्य निधि प्रतिपूर्ति		
5.1.1	100 अकुशल कामगारों के विवरण सहित अकुशल कामगारों की संख्या और संबंधित वर्ष के लिए कर्मचारी-वार अंशदानों का विवरण	मुख्य प्रोत्साहक / प्राधिकृत की ओरसे इस आशय का शपथ पत्र कि उपर्युक्त सभी विवरण सत्य हैं और इकाई में संबंधित वर्ष की पूर्ण अवधि के लिए इसके सतत रोजगार में 100 अकुशल कामगार थे जिसके लिए प्रतिपूर्ति का आवेदन किया गया है।
5.1.2	अन्य कामगारों की संख्या	
5.1.3	कामगारों की कुल संख्या	
5.1.4	ईपीएफ प्रतिपूर्ति के लिए दावों का ब्यौरा	ईपीएफओ या कर्मचारी के भविष्य निधि न्यास में अदा किए गए अंशदानों का महीना-वार ब्यौरा, जिसे ईपीएफओ के संबंधित सक्षम अधिकारी/न्यास के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

6	प्राप्त की गई भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क से छूट	
7	प्राप्त की गई विकास शुल्क से छूट	
8	प्राप्त की गई वेअरहाउससेज का गुणवत्ता प्रमाणन की प्रतिपूर्ति	
9	प्राप्त की गई स्टाम्प ड्यूटी छूट की विस्तृत गणना	
10	प्राप्त की गई प्रज्ञ लाजिस्टिक हेतु प्रोत्साहन की विस्तृत गणना	
11	प्राप्त की गई विद्युत शुल्क छूट की विस्तृत गणना	
12	कौशल विकास प्रोत्साहन / सहायता का विस्तृत विवरण	

घोषणा

उपर्युक्त सूचना पूर्णतया सत्य है और किसी भी तथ्य को छिपाया या गलत ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है। आगे स्पष्ट किया जाता है कि कम्पनी ने उपर्युक्त प्रकृति के लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार की किसी क्षेत्र- विशिष्ट या अन्य नीति के अधीन उपर्युक्त प्रकृति के लाभों के लिए आवेदन नहीं किया है।


मैं/हम एतद्वारा सहमत हूँ/है कि उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग तथा लॉजिस्टिक्स नीति-2018 के नियमों के अधीन यदि यह पाया जाता है कि मुझे/हमें उक्त लाभों का संवितरण किसी भी कारण से वास्तविक रूप से स्वीकार्य राशि से अधिक किया गया है तो मैं/हम जारी किए गए लाभों की तत्काल वापसी कर देगे।

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

नाम, पदनाम और कार्यालय मुहर सहित

स्थान :

दिनांक :



कम्पनी के नाम से उत्तर प्रदेश राज्य में कय किये गये रू0 10/- के
जनरल स्टाम्प पेपर पर पब्लिक नोटरी के समक्ष शपथ पत्र

शपथ पत्र

मैं,आयु.....वर्ष, पुत्र (श्री/स्व0)....., निवासी ...
.....मे0..... जिसका पंजीकृत कार्यालयपर स्थित है, का अधिकृत
हस्ताक्षरी, सत्यनिष्ठा के साथ शपथ लेता हूँ एवं निम्नवत घोषणा करता हूँ :-

1. यह कि शपथी मे0.....काहै एवं कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव दिनांकके द्वारा यह शपथ पत्र दाखिल करने हेतु अधिकृत किया गया है।
(अ) यह कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि राज्य सरकार की किसी उद्योग विशेष सम्बन्धी विभागीय नीति के अन्तर्गत आवेदक कम्पनी के औद्योगिक उपक्रम द्वारा कोई लाभ न तो प्राप्त किया गया है और न ही भविष्य में प्राप्त करेंगे।
2. यह कि मैंनिम्नवत शपथ लेता हूँ :-
(अ) यह कि आवेदक कम्पनी के औद्योगिक उपक्रम द्वारा शासनादेश संख्या.....दिनांकमें उल्लिखित सभी प्रावधानों का पालन किया जायेगा एवं किसी भी स्थिति में यदि यह पाया गया कि आवेदक कम्पनी के औद्योगिक उपक्रम द्वारा किसी शर्त का उल्लंघन किया गया है अथवा असत्य जानकारी उपलब्ध करायी गयी है तो ऐसी दशा में आवेदक कम्पनी के औद्योगिक उपक्रम को स्वीकृत विशेष सुविधाओं को वापस लिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं की जायेगी।
(ब) यह कि यदि किसी भी कारणवश वास्तविक अनुमन्य राशि से अधिक वित्तीय लाभ की राशि प्राप्त की जाती है तो ऐसी दशा में आवेदक कम्पनी के औद्योगिक उपक्रम द्वारा उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग तथा लॉजिस्टिक्स नीति-2018 के अन्तर्गत वास्तविक अनुमन्य राशि से अधिक प्राप्त किये गये वित्तीय लाभ की राशि को वापस किया जायेगा।
3. यह कि आवेदक कम्पनी के औद्योगिक उपक्रम द्वारा उपलब्ध करायी गयी सभी सूचनाएं/दस्तावेज, मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार पूर्णतः सत्य है।

स्थान
दिनांक

शपथकर्ता

सत्यापन

मैं उपरोक्त नामित शपथकर्ता सत्यापित करता हूँ कि प्रस्तर 1 से 3 पर इंगित विवरण मेरी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सही है एवं कोई भी तथ्यपरक जानकारी छुपाई नहीं गयी है एवं दोषरहित है। इसलिए ईश्वर मेरी सहायता करें।

सत्यापित एवं हस्ताक्षरित दिनांक

शपथकर्ता

नोट :- कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव, जिसके द्वारा शपथकर्ता को उपरोक्त शपथपत्र दाखिल करने हेतु अधिकृत किया गया है, की प्रमाणित प्रति शपथपत्र के साथ संलग्न करें।



पूर्वांचल	बुन्देलखण्ड	पश्चिमांचल (गौतमबुद्ध नगर एवं गाजियाबाद छोडकर)
फैजाबाद मण्डल 1. फ़ैजाबाद 2. अम्बेडकरनगर 3. बराबंकी 4. सुल्तानपुर 5. अमेठी गोरखपुर मण्डल 6. गोरखपुर 7. देवरिया 8. महाराजगंज 9. कुशीनगर इलाहाबाद मण्डल 10. इलाहाबाद 11. कौशाम्बी 12. फतेहपुर 13. प्रतापगढ़ वाराणसी मण्डल 14. वाराणसी 15. चन्दौली 16. जौनपुर 17. गाजीपुर मिर्जापुर मण्डल 18. मिर्जापुर 19. सन्तरविदासनगर (भदोही) 20. सोनभद्र आजमगढ़ मण्डल 21. आजमगढ़ 22. बलिया 23. मऊ देवीपाटन मण्डल 24. गोण्डा 25. बहराइच 26. बलरामपुर 27. श्रावस्ती बस्ती मण्डल 28. बस्ती 29. सन्तकबीरनगर 30. सिद्धार्थनगर	झांसी मण्डल 1. झांसी 2. जालौन 3. ललितपुर चित्रकूट 4. बांदा 5. चित्रकूट 6. हमीरपुर 7. महोबा मध्यंचल कानपुर मण्डल 1. कानपुर नगर 2. कानपुर देहात (रमाबाईनगर) 3. इटावा 4. औरैया 5. फर्रुखाबाद 6. कन्नौज लखनऊ मण्डल 7. लखनऊ 8. हरदोई 9. लखीमपुर खीरी 10. रायबरेली 11. सीतापुर 12. उन्नाव	आगरा मण्डल 1. आगरा 2. फिरोजाबाद 3. मैनपुरी 4. मथुरा अलीगढ़ मण्डल 5. अलीगढ़ 6. हाथरस 7. कासगंज 8. एटा मुरादाबाद मण्डल 9. मुरादाबाद 10. बिजनौर 11. सम्भल 12. रामपुर 13. अमरोहा मेरठ मण्डल 14. मेरठ 14. बुलन्दशहर 16. हापुड (पंचशील नगर) 17. बागपत सहारनपुर मण्डल 18. मुज़फ्फरनगर 19. शामली 20. सहारनपुर बरेली मण्डल 21. बरेली 22. बदायूँ 23. पीलीभीत 24. शहजहांपुर